

बिहार सरकार

समाहरणालय, वैशाली

(कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी वैशाली (हाजीपुर)

आपातकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आपदा बाढ़/सुखाड़ की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2018-19 में वैशाली जिला अंतर्गत सभी प्रखण्डों में पशुओं के लिए सुखा चारा यथा भूसा, पुआल एवं चोकर के दर/आपूर्तिकर्ता के निर्धारण हेतु मुहरबन्द आपातकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 13.06.2018 के अपराह्न 05:00 बजे तक तकनीकी एवं वित्तीय निविदा को अलग-अलग लिफाफे में बंद कर एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर जिला पशुपालन कार्यालय वैशाली में प्राप्त की जायगी। सुखा चारा क्रय आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारी द्वारा की जायगी।

तकनीकी शर्त

1. निविदा के साथ 5000 पौंच हजार रु० मात्र अग्रघन के रूप में बैंक ड्राफ्ट, जिला पशुपालन पदाधिकारी, वैशाली के पदनाम एवं हाजीपुर में देय हो, जमा करना अनिवार्य है।
2. निविदादाता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सूखा चारा का 200 ग्राम नमूना के रूप में जो चारदर्शी प्लास्टिक थैली में मुहरबंद हो, निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है।
3. निविदा में सुखा चारा यथा-भूसा एवं कुटी पुआल-नेवाली चोकर का प्रति किंटल दर आपूर्ति आदेश में अंकित कर मत्स्य स्थान तक पहुँचाकर तौलवाकर एवं रखवाकर अंकित रहना अनिवार्य है। चून्त अंकित दर के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि परिवहन व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।
4. निविदादाता को अपने दुकान का पूर्ण पता, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आवासीय पता का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
5. आपूर्ति की जाने वाली सुखा चारा निविदा के साथ जमा किये गये नमूना के अनुरूप नहीं होने पर आपूर्ति नहीं ली जाएगी।
6. आपूर्ति आदेश होने के एक सप्ताह के अन्दर आपूर्ति नहीं देने पर आपूर्ति आदेश रद्द करते हुए अग्रघन की राशि जब्त कर ली जाएगी।
7. अनुमोदित दर अगले दर निर्धारण तक के लिए प्रभावी मानी जाएगी।
8. आपूर्ति आदेश के अनुसार सूखा चारा की आपूर्ति करने की सूचना न्यूनतम एक दिन पूर्व देनी होगी।
9. एक से अधिक निविदादाताओं का एक ही दर स्वीकृत होने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा किसी भी निविदादाता/आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. जिला पदाधिकारी, वैशाली को बिना कोई कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
11. निविदा सूचना के लिए वेबसाइट www.ahd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। विशेष जानकारी कार्यालय अवधि में जिला पशुपालन कार्यालय, वैशाली से प्राप्त की जा सकती है।

वित्तीय मांग:-

- (1) सुखा चारा यथा भूसा, कुटी, पुआल, चोकर के लिए अलग-अलग दर अंकित करना होगा।
- (2) अंकित दर के अलावा कोई भी राशि परिवहन व्यय आदि देय नहीं होगा।

जिला पदाधिकारी, वैशाली

PR No.-3283(Animal) 2018-19 वेदा-वटी एक समान! देहन-प्रथा करे सबका अपमान!

बिहार सरकार

समाहरणालय, वैशाली

(कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर))

आपातकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आपदा बाढ़/सुखाड की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2018-19 में वैशाली जिला अंतर्गत सभी प्रखण्डों में पशुओं के लिए सुखा चारा ग्रथा भूसा, पुआल एवं चोकरे के दर/आपूर्तिकर्ता के निर्धारण हेतु मुहरबन्द आपातकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 18.06.2018 के अपराहन 05:00 बजे तक तकनीकी एवं वित्तीय निविदा को अलग-अलग लिफाफे में बंद कर एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर जिला पशुपालन कार्यालय वैशाली में प्राप्त की जायगी। सुखा-चारा क्रय आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारी द्वारा की जायगी।

तकनीकी माग

1. निविदा के साथ 5000 पांच हजार रु० मात्र अग्रघन के रूप में बैंक ड्राफ्ट, जिला पशुपालन पदाधिकारी, वैशाली के पदनाम एवं हाजीपुर में देय हो, जमा करना अनिवार्य है।
2. निविदादाता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सूखा चारा का 200 ग्राम नमूना के रूप में जो पारदर्शी प्लास्टिक थैली में मुहरबंद हो, निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है।
3. निविदा में सूखा चारा यथा-भूसा एवं कुटी पुआल-नेवाली चोकर का प्रति क्विंटल दर आपूर्ति आदेश में अंकित कर गतव्य स्थान तक पहुंचाकर लौटाकर एवं रखवाकर अंकित रहना अनिवार्य है। उक्त अंकित दर के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि परिवहन व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।
4. निविदादाता को अपने दुकान का पूर्ण पता, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आवासीय पता का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
5. आपूर्ति की जाने वाली सुखा चारा निविदा के साथ जमा किये गये नमूना के अनुरूप नहीं होने पर आपूर्ति नहीं ली जाएगी।
6. आपूर्ति आदेश होने के एक सप्ताह के अन्दर आपूर्ति नहीं देने पर आपूर्ति आदेश रद्द करते हुए अग्रघन को राशि जप्त कर ली जाएगी।
7. अग्रघनित दर अगले दर निर्धारण तक के लिए प्रभावी मांगी जाएगी।
8. आपूर्ति आदेश के अनुसार सूखा चारा की आपूर्ति करने की सूचना न्यूनतम एक दिन पूर्व देनी होगी।
9. एक से अधिक निविदादाताओं का एक ही दर स्वीकृत होने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा किसी निविदादाता/आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. निविदा पदाधिकारी, वैशाली को विना कोई कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
11. विना शर्तों के लिए वेबसाइट www.ahd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। विशेष जानकारी के लिए अग्रघन में जिला पशुपालन कार्यालय, वैशाली से प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक 10/06/2018

- (1) सुखा चारा भूसा, कुटी, पुआल, चोकर के लिए अलग-अलग दर अंकित करना होगा।
- (2) अलग-अलग के अलावा कोई भी राशि परिवहन व्यय आदि देय नहीं होगा।

जिला पदाधिकारी, वैशाली

PP-122 (Animal) 2018-19, चैला-बेटी एक समान। दहेज-प्रथा करे सबका अपमान।